

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या— 542 / XXIV-2 / 2014-32(02) / 2011
देहरादून: दिनांक 19 फरवरी, 2014

राज्यपाल, भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सेवा नियमावली, 2014

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	<p>1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।</p>
सेवा की प्रारिष्ठति	<p>2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।</p>
परिमाणार्थे	<p>3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में— (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभिप्रेत है। (ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है; (ग) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है; (घ) 'सामान्य शाखा' से राजकीय सह शिक्षा वाले विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला और पुरुष, दोनों अभ्यर्थियों से भरी जाय; (ड) सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है; (च) राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है; (छ) सेवा का सदस्य से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से / मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं; (ज) सेवा से उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा अभिप्रेत है; (झ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; (ञ) महिला शाखा से राजकीय वालिका विद्यालयों में सेवा की शाखा अभिप्रेत है जो महिला अभ्यर्थियों से भरी जाय, तथा (ट) भर्ती का वर्ष से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।</p>

भाग 2 – संवर्ग

सेवा संवर्ग	<p>4. (1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा।</p> <p>(2) प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, परन्तु यह कि—</p> <p>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।</p>
-------------	---

भाग 3 – भर्ती

भर्ती का स्रोत	<p>5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—</p> <p>सहायक अध्यापक (सामान्य शाखा) सहायक अध्यापिका (सामान्य शाखा / महिला शाखा)</p>
	<p>(1) 60 प्रतिशत पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(2) 30 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से पदोन्नति द्वारा;</p> <p>परन्तु यह कि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ऐसे पदों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा जो नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) के अन्तर्गत निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी अर्हताएँ पूर्ण करते हों।</p> <p>(3) 10 प्रतिशत पदों पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, में से विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा चयन करके।</p> <p>परन्तु यह कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में कमांक 2 और/अथवा कमांक 3 पर सन्दर्भित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो उस वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष पदों पर अगले चयन वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जायेगी।</p>
आरक्षण	<p>6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।</p>

भाग 4 – अर्हता

राष्ट्रीयता	<p>7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी –</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या</p> <p>(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के पूर्वी अफ़्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:</p> <p>परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:</p> <p>परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा:</p> <p>परन्तु यह कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।</p> <p>टिप्पणी – जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है, कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।</p>		
शैक्षणिक अर्हता	<p>8. (1) सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :-</p>		
क्रम संख्या	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	
(एक)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (सामान्य)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हों। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। अथवा (1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण हों।	
(दो)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (गणित)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि परन्तु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम दो वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों।	

			<p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1) एन0सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) गणित एवं (दो) भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।</p>
	(तीन)	सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (विज्ञान)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1) एन0सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।</p>
	(चार)	(क) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका (भाषा) हिन्दी	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अम्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड० की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1) एन0सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) हिन्दी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण, और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अम्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p>

		(ख) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका संस्कृत	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत (साहित्य) जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अन्यर्थी के पास इण्टर स्तर पर हिन्दी विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में अवश्य हो।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि।</p>
		(ग) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका उर्दू	<p>(1) विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0/शिक्षाशास्त्री की उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण।</p>
		(घ) सहायक अध्यापक/ सहायक अध्यापिका अंग्रेजी	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।</p>

			अथवा
		(ङ) सहायक अध्यापक बंगाली	<p>(1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण।</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p>
		(च) सहायक अध्यापक पंजाबी	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पंजाबी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि।</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पंजाबी साहित्य जो अन्तिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो, के साथ स्नातक उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।</p>
	(पाँच)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कला)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग या पेन्टिंग/फाईन आर्ट/कला विषय में स्नातक की उपाधि के साथ न्यूनतम द्विवर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा।</p> <p>पूर्णकालिक डिप्लोमा प्रदान करने वाली निम्न संस्थायें मान्यता प्राप्त हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु— <ul style="list-style-type: none"> (क) स्कूल/कालेज ऑफ आर्ट एण्ड काफ्ट, लखनऊ। (ख) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग पंजाब, चण्डीगढ़। (ग) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। (घ) डाईरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग हरियाणा, चण्डीगढ़। (ङ) बी०एड०, डिग्री डिप्लोमा इन फाईन आर्ट्स फॉम रीजनल कालेज ऑफ एजुकेशन। तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु— <ul style="list-style-type: none"> (क) वीमेन्स पॉलिटेक्निक, महारानीबाग नई दिल्ली।

- (ख) शारदा उकिल स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली।
 (ग) दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली।
 (घ) गोवमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीचूट, जे० एण्ड के० जम्मू।
 (ङ.) ड्राईंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन फाईन आर्ट एण्ड क्रापट एवॉर्ड वार्ड रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंटल इकजामिनेशन गोवमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर।
 (च) यी०ए० / यी०ए० आनर्स इन आर्ट एण्ड आर्ट एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली।

3. चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु-

- (क) स्कूल / कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट, लखनऊ।
 (ख) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट, चण्डीगढ़।
 (ग) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे।
 (घ) विश्व भारती (वेर्स्ट बंगाल) शान्ति निकेतन।
 4. पाँच वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु-
- (क) नेशनल डिप्लोमा ऑफ ए०ए० आई०सी० टी०ई०।
 (ख) वेचलर इन फाईन आर्ट्स डिग्री फॉम अरिगनाइज़्ड, यूनिवर्सिटी।
 (ग) गोवमेंट कालेज ऑफ फाईन आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, हैदराबाद (स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, आन्ध्र प्रदेश)।
 (घ) गोवमेंट स्कूल / कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट लखनऊ (डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश / कल्वरल अफेयर्स एण्ड सार्टिफिक रिसर्च यू०पी०)।
 (ङ.) सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बाम्बे।
 (च) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट, कैलकटा (डाइरेक्टोरेट आफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन वेर्स्ट बैगॉल)।
 (छ) कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट, चेन्नई (डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज चेन्नई)
 (ज) स्कूल / कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट पट्टना।
 (झ) विश्व भारती (वेर्स्ट बैगॉल) शान्ति निकेतन।
 (ञ) स्कूल / कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्रापट (पंजाब चण्डीगढ़)।

			<p>(ट) रजिस्ट्रार,डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन बीकानेर, गोवमेंट ऑफ राजस्थान।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पैन्टिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।</p> <p>(3) इंटरमीडिएट परीक्षा प्राविधिक कला/ड्राइंग एवं पैटिंग के साथ उत्तीर्ण की हो।</p> <p>अथवा</p> <p>मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट / हायर सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम 04 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा/फाइन आर्ट से मान्यता प्राप्त संस्था से।</p>
	(छः)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (शारीरिक शिक्षा)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से डी0पी0ई0 डिप्लोमा/व्यायाम रत्न या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0पी0एड0 की उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा (बी0पी0ई0)में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p>
	(सात)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (संगीत)	<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p> <p>(2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।</p>

			<p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से पाँच वर्षीय संगीत प्रभाकर।</p>
(आठ)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (गृह विज्ञान)		<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में बी0एससी0 (ऑनर्स) विषय के साथ स्नातक की उपाधि/गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p>
(नौ)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (वाणिज्य)		<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(1) एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय महाविद्यालय से चार वर्षीय (B.A.Ed) वाणिज्य विषय के साथ स्नातक की उपाधि।</p>
(दस)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कम्प्यूटर विज्ञान)		<p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक की उपाधि अथवा बी0सी0ए0 की उपाधि।</p> <p>(2) किसी राजकीय संस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में बी0टैक0/बी0ई0 उपाधि।</p>

- (2) अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एल०टी० पद पर नियुक्ति/चयन हेतु यू०टी०ई०टी०-२/सी०टी०ई०टी०-२ की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किन्तु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निधारित पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएँ निधारित नहीं कर देती।
- (3) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- (4) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

अधिमानी अर्हता	9. अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
आयु	10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए: परन्तु यह कि सरकार अधिकतम् आयु सीमा में शिथिलता प्रदान कर सकती है: परन्तु यह और कि राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा धारक हों उन्हे अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उन्होने विभाग में सेवा की हो परन्तु यह छूट पाँच वर्ष से अनधिक होगी : परन्तु यह भी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।
चरित्र	11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा। टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
तैवाहिक प्रास्तिक	12. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी: परन्तु, यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
शारीरिक योग्यता	13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुरितका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

	<p>वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल/शाखा (सामान्य अथवा महिला) के सम्बन्धित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल/शाखा में सम्बन्धित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया जायेगा।</p> <p>(दो) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक (लिखित परीक्षा के अंक) प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।</p> <p>(तीन) सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच एवं सत्यापन करने के उपरान्त सभी प्रकार से अहं पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।</p>								
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	<p>16.(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय से, जो समान वेतनकम में कार्यरत हों, इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप में सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया जायेगा। उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर शिक्षकों के पोषक सर्वांग (सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०, स०आ० रा०आ०वि०, स०आ०सम्बद्ध रा०प्रा०वि०) से ज्येष्ठता/वरिष्ठता निर्धारित करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु इच्छुक अहं शिक्षकों से पदस्थापना हेतु पॉच-पॉच विद्यालयों के विकल्प प्राप्त किये जायेंगे तथा काउसिलिंग के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापना की जायेगी। विकल्प न देने तथा पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति कर दी जायेगी। किसी भर्ती वर्ष में मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पदोन्नति हेतु विषयवार पदों की संख्या अवधारित की जायेगी। अहं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रसारित करने के उपरान्त ही विज्ञापन में दिए गये निर्देशानुसार मण्डलों को प्रेषित किए जायेंगे। सीधी भर्ती तथा विभागीय सीधी भर्ती के विज्ञापन सत्र में ही पदोन्नति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा नियुक्तियां भी यथा सम्भव एक ही साथ की जायेंगी। पदोन्नति हेतु वे ही अभ्यर्थी अहं होंगे, जिन्होंने—</p> <p>(एक) स्नातक उपाधि प्राप्त की हो,</p> <p>(दो) नियम ४ में निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण किये हों,</p> <p>(तीन) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम ०८ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।</p> <p>मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक प्रत्येक विषय के प्रति रिक्त पदों की कुल संख्या का विवरण पदोन्नति हेतु गठित समिति के समक्ष रखेगा।</p> <p>(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु समिति— इस समिति में निम्नलिखित होंगे—</p> <table> <tr> <td>(एक) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा—</td> <td>अध्यक्ष/ सचिव</td> </tr> <tr> <td>(दो) मण्डलीय अपर निदेशक, वेसिक शिक्षा—</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(तीन) सम्बन्धित मण्डल का वरिष्ठतम मुख्य शिक्षा अधिकारी—</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>(चार) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकारी—</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table> <p>(3) पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त</p>	(एक) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा—	अध्यक्ष/ सचिव	(दो) मण्डलीय अपर निदेशक, वेसिक शिक्षा—	सदस्य	(तीन) सम्बन्धित मण्डल का वरिष्ठतम मुख्य शिक्षा अधिकारी—	सदस्य	(चार) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकारी—	सदस्य
(एक) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा—	अध्यक्ष/ सचिव								
(दो) मण्डलीय अपर निदेशक, वेसिक शिक्षा—	सदस्य								
(तीन) सम्बन्धित मण्डल का वरिष्ठतम मुख्य शिक्षा अधिकारी—	सदस्य								
(चार) मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अधिकारी—	सदस्य								

	<p>करना होगा। यदि उक्त प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात् की तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे :</p> <p>(4) व्यायाम शिक्षकों के लिए नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (छ:) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे;</p> <p>परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।</p>												
नियम 5 (3) की श्रेणी में विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	<p>17.(1) विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत, ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे; जिन्होंने—</p> <p>(क) स्नातक उपाधि प्राप्त की है,</p> <p>(ख) नियम 8 में निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण किये हों।</p> <p>(ग) नियम 8 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो।</p> <p><u>टिप्पणी</u>— विभागीय लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में न्यूनतम सेवा अवधि सम्बन्धी प्राविधान लागू नहीं होंगे।</p> <p>(2) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष में इस हेतु निर्धारित विषयवार पदों की संख्या अवधारित करेगा तथा इसका विवरण तैयार करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं अथवा निर्धारित परीक्षा संस्था के माध्यम से विभागीय सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करेगा। सम्बन्धित परीक्षा संस्था द्वारा अन्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के योग से प्रकटित प्रवीणता के कम में अन्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित मण्डलीय संवर्ग के महिला संवर्ग (महिला अन्यर्थियों के मामले में) अथवा मण्डलीय सामान्य संवर्ग (महिला एवं पुरुष अन्यर्थियों के मामले में) के लिए आवंटित करेगा। किन्तु किसी अन्यर्थी द्वारा वरीयता सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मण्डल/ शाखा (सामान्य अथवा महिला) के सम्बन्धित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वितीय विकल्पित मण्डल/ शाखा में सम्बन्धित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया जायेगा।</p> <p><u>टिप्पणी</u>— सीधी भर्ती (60 प्रतिशत) एवं विभागीय लिखित (10 प्रतिशत) सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मण्डल में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जायेगी।</p>												
संयुक्त चयन सूची	<p>18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।</p> <p>उदाहरणर्थ यदि किसी वर्ष विशेष में सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी) पदोन्नति (प) और विभागीय लिखित परीक्षा (लि) तीनों प्रकार से 60, 30 और 10 के अनुपात में की जाती हैं और रिक्तियां 10 हैं तो ऐसी स्थिति में 6 रिक्तियां सीधी भर्ती के अन्यर्थियों द्वारा, 3 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा और 1 रिक्ति विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भरी जायेगी। चयन के पश्चात् संयुक्त सूची निम्न चक्रीय कम में तैयार की जायेगी।</p> <table border="1"> <tr> <td>1. प०</td><td>4. सी०</td><td>7. सी०</td><td>10. प०</td></tr> <tr> <td>2. सी०</td><td>5. लि०</td><td>8. सी०</td><td>—</td></tr> <tr> <td>3. सी०</td><td>6. प०</td><td>9. सी०</td><td>—</td></tr> </table>	1. प०	4. सी०	7. सी०	10. प०	2. सी०	5. लि०	8. सी०	—	3. सी०	6. प०	9. सी०	—
1. प०	4. सी०	7. सी०	10. प०										
2. सी०	5. लि०	8. सी०	—										
3. सी०	6. प०	9. सी०	—										

भाग 6 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता	
नियुक्ति,	<p>19.(1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर जिसमें वे नियम 15,16,17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।</p> <p>(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हैं तो नियमित नियुक्तियाँ यथा सम्मव तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियाँ तैयार न की गयी हों।</p> <p>(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय कम में कमांकित किये जायेंगे।</p>
परिवीक्षा	<p>20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।</p> <p>(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक—पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:</p> <p>परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।</p> <p>(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।</p> <p>(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।</p>
स्थायीकरण	<p>21. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा; यदि उसने –</p> <p>(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हों;</p> <p>(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;</p> <p>(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;</p> <p>(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा</p> <p>(ड) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।</p>

PKB

ज्येष्ठता

22. (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जायेगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस कम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में कमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित हैं।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय ;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियों पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक—पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु यह कि—

(1) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(2) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।


(3) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियों की जाती हैं वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।

१५

	भाग 7 – वेतन आदि
वेतनमानम	<p>23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।</p> <p>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में अंकित हैं।</p>
परिवीक्षा के दौरान वेतन	<p>24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दे वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:</p> <p>परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।</p> <p>(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:</p> <p>परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।</p> <p>(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।</p>
भाग 8 – अन्य प्राविधान	
पक्ष समर्थन	25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।
अन्य विषयों का विनियमन	26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
सेवा शर्तों का शिथिलीकरण	27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जौ वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।
व्यावृत्ति	28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,


 (एस० राज०)
 प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

पद का नाम
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका

वेतनमान
9300-34800 घेड वेतन 4600
(प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंक :-

(क) परीक्षा :- परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न-पत्र के निम्न दो भाग होंगे :-

1. भाग - एक- शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। 100 अंक
2. भाग - दो- जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। 100 अंक

आज्ञा से

(आर०के० तोमर)
उप सचिव